संख्या-539/2023/3557/41-2023-17(सा0)/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 04 अगस्त, 2023**

विषयः-तहसील सदर जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विकास हेतु पर्यटन विभाग के नाम भूमि दर्ज कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-9571/6-1-1(के0नो0)/2022-23 दिनांक 15 मार्च, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तहसील सदर जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विकास हेतु पर्यटन विभाग के नाम भूमि दर्ज कराये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- लखीमपुर को पूर्व में लक्ष्मीपुर के नाम से जाना जाता था। लखीमपुर खीरी भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है तथा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसकी प्रशासनिक राजधानी लखीमपुर शहर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बाघ, तेंदुए, दलदल हिरण, हेपीड खरगोश और बंगाली फूलों सहित दुर्लभ तथा लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। यहॉ के कई गॉव में मूर्तिकला के टुकड़े पाये जाते हैं, बलमीयर-बरकर और खैरलगढ़ सबसे उल्लेखनीय हैं। खैरबाद के पास एक पत्थर का घोड़ा पाया गया और समुद्र गुफा के शिलालेख को चौथी सदी में दर्ज किया गया। घोड़े की पत्थर की प्रतिकृति, अब लखनऊ संग्रहालय में है।

3- लखीमपुर में कई नदियों का प्रवाह है, इनमें से कुछ जैसे शारदा नदी, घाघरा नदी, कोरियाला नदी, उले नदी, सरायन नदी, चौका नदी, गोमती नदी, कठन नदी, सराय नदी और मोहन नदी हैं। लखीमपुर शहर राज्य की राजधानी लखनऊ से 134 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। यहॉ आसानी से रेलगाड़ी, उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम लिमिटेड (यू0पी0एस0आर0टी0सी0) की बस सेवा से पहुँचा जा सकता है जो कैसरबाग बस स्टेशन से चलती हैं।

4- जिलाधिकारी, खीरी के पत्र संख्या-1559/भूमि चिन्हांकन-पर्यटन विभाग/डी0एल0 आर0सी0, दिनांक 03-02-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद लखीमपुर खीरी के राजस्व अभिलेखों में सी0एच0-41 व सी0एच0-45 में खतौनी मिलकियत सरकार के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

श्रेणी-9 अकृषिक भूमि (राजकीय भट्ठा) के नाम दर्ज है। उक्त भूमि सिंचाई खण्ड शारदा नहर द्वारा कई वर्षो पूर्व भट्टे के रूप में प्रयोग की गयी थी परन्तु वर्तमान स्थिति में यहॉ पर इस प्रकार का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। जनपद लखीमपुर खीरी के राजस्व ग्राम कोठिया, परगना श्रीनगर, तहसील लखीमपुर का गाटा संख्या-625, 626, 627, 628, 629 (क), 630, 631, 632, 633 कुल 09 किता क्षेत्रफल 16.22 एकड़ या 6.563 हे0 तथा राजस्व ग्राम गड़ौसा, परगना श्रीनगर, तहसील लखीमपुर का गाटा संख्या-645/2.73 हे0 में से 1.73 हे0 अर्थात कुल रकबा 8.30 हे0 (20.50 एकड़) भूमि पर्यटन विभाग के नाम से दर्ज किया जाना है। उक्त भूमि पर पर्यटन विकास सम्बन्धी गतिविधियों के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों के आर्थिक-सामाजिक जीवन-स्तर में भी उन्नयन होगा।

5- उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद लखीमपुर खीरी के राजस्व ग्राम कोठिया, परगना श्रीनगर, तहसील लखीमपुर का गाटा संख्या-625, 626, 627, 628, 629(क), 630, 631, 632, 633 कुल 09 किता क्षेत्रफल 16.22 एकड़ या 6.563 हे0 तथा राजस्व ग्राम गड़ौसा, परगना श्रीनगर, तहसील लखीमपुर का गाटा संख्या-645/2.73 हे0 में से 1.73 हे0 अर्थात कुल रकबा 8.30 हे0 (20.50 एकड़) जिस पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व है। उक्त भूमि के रकबे सिंचाई विभाग के नाम भट्ठे के रूप में दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 9.3 हे0 (22.95 एकड़) है। उक्त भूमि पर्यटन विभाग को पर्यटन विकास हेतु निःशुल्क हस्तान्तरण किया जाना है।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तहसील सदर जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विकास हेतु पर्यटन विभाग के नाम भूमि दर्ज कराये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) जनपद लखीमपुर खीरी के राजस्व ग्राम कोठिया, परगना श्रीनगर, तहसील लखीमपुर का गाटा संख्या-625, 626, 627, 628, 629(क), 630, 631, 632, 633 कुल 09 किता क्षेत्रफल 16.22 एकड़ या 6.563 हे0 तथा राजस्व ग्राम गड़ौसा, परगना श्रीनगर, तहसील लखीमपुर का गाटा संख्या-645/2.73 हे0 में से 1.73 हे0 अर्थात कुल रकबा 8.30 हे0 (20.50 एकड़) जिस पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व है। उक्त भूमि के रकबे सिंचाई विभाग के नाम भट्ठे के रूप में दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 9.3 हे0 (22.95 एकड़) है, जिसे पर्यटन विकास हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण किया जायेगा

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

6- प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्त एवं प्रतिबन्ध का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा:-

''मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। समस्त राजस्व अभिलेखों की पुष्टि करने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

के हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्त राजस्व अभिलेखो की पुष्टि करने के उपरांत ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।''

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त लखनऊ मण्डल।
7- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
8- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।